न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा

प्रकरण संख्या — 15/24/26

उनवान — राजेश बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03/5/2026	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में थानाधिकारी ने पूर्ण रिपोर्ट नहीं दी गई है, जो प्राप्त नहीं है। पुनः कागज पत्र जारी कर तलब किया जावे। 4/6/2026 को पेश हो।	
	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल तिजारा	
4/6/2026	आज दिनांक पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खैरथल से प्राप्त की गई रिपोर्ट के अनुसार — दिनांक 7/5/2026 को ग्राम प्राप्त होकर थाना खैरथल में मुकदमा रिपोर्ट के मुताबिक पिकअप RJ32GC4475 वाहन मालिक सतपाल के विरुद्ध धारा 303(2) BNS व 5,6,8 ROAC का पूर्व प्रकाशित पाया तथा सतपाल यादव वाहन मालिक की पैरवी माननीय न्यायालय जिला मेजिस्ट्रेट न्यायालय जिला खैरथल तिजारा अग्रिम जमानत ली/की गयी है। प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान में यह कहा वाहन पिकअप का बेचान इकरारनामा के मुताबिक सतपाल यादव मालिक है, बेचान इकरारनामा के अनुसार सतपाल यादव लेने का हकदार है। उक्त प्रकरण में यह मुद्दा आज की सुनवाई में लेने हेतु प्रार्थी राजेश कुमार यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी बादरिया जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी राजेश को वाहन मालिक नहीं माना गया है, अतः प्रकरण में यह मुद्दा आज की सुनवाई में किया जाना न्यायोचित नहीं। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार हो। नकल के लिए किया जावे। बाद तामील दाखिल दफ्तर किया जाकर हो।	
	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल तिजारा	